क्रम-संख्या–149 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 अगस्त, 2023

भाद्रपद 7, 1945 शक सम्वत्

प्रारूप–19

[नियम 27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

———

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

———

अधिसूचना संख्या 3406 / आठ–अ0जि0अ0 / भू0अ0 / गाजियाबाद

दिनांक : 29 अगस्त, 2023

———

अधिसूचना

प०आ०–465

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सुनियोजित विकास योजना हेतु जिला गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद, परगना लोनी अन्तर्गत ग्राम पसौंडा स्थित 0.1351 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3175 / आठ–अ0जि0अ0 / भू0अ0 / गाजियाबाद, दिनांक 9 जून, 2023 को निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 13 जून, 2023 को समाचार–पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की गयी थी। भूमि अर्जन अधिनियम व शासनादेश के आलोक में डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेंट कलेक्टर, गाजियाबाद को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

2–अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

3–राज्यपाल अग्रेतर निदेश देती हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु गाजियाबाद कलेक्टर को निर्देशित करती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	पसौंडा	845 मि0	0.0040
				855 मि0	0.0050
				1772 मि0	0.0293
				1773 मि0	0.0388
				1774 मि0	0.0350
				1775 मि0	0.0230
				कुल योग	**0.1351**

————

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
———— लागू नहीं ————					

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा गाजियाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

(ह0) अपठनीय,

समुचित सरकार/जिलाधिकारी गाजियाबाद।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सुनियोजित विकास योजना हेतु जिला गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद, परगना लोनी अन्तर्गत ग्राम पसौंडा स्थित 0.1351 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3175/आठ–अ0जि0अ0/भू0अ0/गा0बाद, दिनांक 9 जून, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद सुनियोजित विकास के अन्तर्गत राजबाग मेट्रो स्टेशन विकसित कर रहा है। परियोजना से मौजूदा परिस्थितियों में सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, यातायात प्रबंधन से भीड़ की कमी होगी, यातायात हेतु त्वरित सेवा, सुरक्षित यातायात, वायु प्रदूषण में कमी आयेगी। यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करती है।

उक्त परियोजना हेतु ग्राम पसौंडा, तहसील गाजियाबाद व जनपद गाजियाबाद में 0.1351 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के कारण लगभग 20 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है जिनमें से किसी कुटुम्ब का आवासीय या व्यवसायिक विस्थापन नहीं हो रहा है। परियोजना से प्रभावित कुटुम्बों के सम्बन्ध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है जिसका सारांश निम्न प्रकार हैः–

- भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं हेतु प्रतिफल की गणना भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं एवं अनुसूची–1 के क्रम में किया जायेगा।
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों की गणना अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के अनुसार की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पाँच लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि वार्षिकी या नियोजन के विकल्प के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि पुनर्वास भत्ते के रूप में प्रदान की जायेगी।

1–उपरोक्त पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्रियान्वयन 18 माह की अवधि में करा लिया जायेगा।

2–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
(ह0) अपठनीय,
समुचित सरकार/जिलाधिकारी गाजियाबाद।

FORM-19

[Sub-rule (1) of Rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under sub-section (1) of section 19 of the Act]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

(Housing and Urban Planning Department)

Notification no. 3406/8-A.Ji.A.(Bhu.A.)/Ghaziabad

Dated, August 29, 2023

WHEREAS preliminary notification no. 3175/8-A.Ji.A.(Bhu.A.)/Ghaziabad, dated June 9, 2023 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.1351 Hectares of land in Village Pasonda, Pargana Loni, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad is required for public purpose, namely Planned Development Project through Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad and lastly published on dated June 13, 2023 in news paper Dainik Jagran and Amar Ujala. As per act and Government order Deputy Collector/Assistant Collector Ghaziabad was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

2. After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for the public purpose.

3. The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of District Ghaziabad to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE "A"

(Land under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot/Khasra No.	Area (In Hectare)
1	2	3	4	5	6
Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Pasonda	854 M	0.0040
				855 M	0.0050
				1772 M	0.0293
				1773 M	0.0388
				1774 M	0.0350
				1775 M	0.0230
				TOTAL	**0.1351**

SCHEDULE "B"

(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked For Rehabilitation (In Hectare)
1	2	3	4	5	6
-------- Not Applicable --------					

Note-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,

(*Sd.*) Illegible,

Appropriate Government/District Collector Ghaziabad.

NOTIFICATION OF DECLARTION BY COLLECTOR

[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

By the order of declaration made under Government notification no. 3175/8-A.Ji.A.(Bhu.A.)/ Ghaziabad, dated June 9, 2023, area 0.1351 Hectares of land in Village Pasonda, Pargana Loni, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad is required for public purpose, namely Planned Development Project through Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad. I hereby published the declaration made therein summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:–

Ghaziabad Development authority is developing Rajbagh Metro Station under Ghaziabad planned development. The project will have positive environmental effects in the existing conditions, traffic management will reduce congestion, speedy service for traffic, reduction in air pollution. The project server public purposes.

For the said project, 0.1351 Hectares land is proposed to be acquired in Village Pasonda, Pargana Loni, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad in which around 20 families are expected to be affected because of the acquisition and out of that not any family is in residential/Commercial displacement category. For the project affected families, R and R draft scheme has been prepared. The salient features of the Resettlement and Rehabilitation Scheme are as follows:–

- The compensation for land and assets attached with it would be evaluated and distributed as per Schedule-1 and other provisions laid down under RFCTLARR Act, 2013.
- The Rehabilitation and Resettlement assistance would be paid as per the provisions of Schedule-2 of the RFCTLARR Act, 2013.
- One time payment of Rs. 5,00,000/- in lieu of Job/annuity to each affected family .
- One time resettlement allowance of Rs. 50,000/-to each affected family.

1. The implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme will be completed within 18 months.

2. The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land acquisition.

By order,
(*Sd.*) Illegible,
Appropriate Government/District Collector,
Ghaziabad.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 560 राजपत्र–2023–(1754)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

560 RPH 2023 (Avas Avam Shahri Anubhag) (Bhoomi Arjan) data 1e